माधाराम बनाम तहसीलदार धोरीमन्ना
2024 / 210
निर्णय दिनांकः—04.03.2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2024 / 210 दर्ज तिथिः—29.10.2024

1. माधाराम पुत्र धनाराम
जाति विश्नोई निवासी जाणियों का मगरा पटवार मण्डल नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना।

.........................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार धोरीमन्ना
2. जयकिशन पुत्र रामकेन
3. पाबूराम पुत्र रामकेन
4. सुडी पत्नी रामकेन
जाति विश्नोई निवासी जाणियों का मगरा पटवार मण्डल नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना

............................असल विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री रामनिवास विश्नोई
अप्रार्थीगणः—श्री देवाराम चौधरी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—04.03.2025

प्रार्थना—पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा —131,136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 170 / 862 / 0.3642 है0 मौजा जाणियों का मगरा पटवार मण्डल नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। जिसमें से प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने दिनांक 05.08.2015 को आपसी सहमति से राज्य सरकार को रकबा 0.0405 है0 रास्ते बाबत् समर्पित करवाई जिसका तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 04.12.2016 को नामान्तकरण संख्या 48 स्वीकृत

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:11:10 IST
Reason: SelfAttested

कर नवसृजित राज्य सरकार का खसरा 268/862/0.0405 है0 की तरमीम कर तरमीम की पुरत पर तरमीम का नक्शा दुरस्त किया गय। वर्तमान समय में प्रार्थी द्वारा समर्पण आदेश दिनांक 05.08.2015 की पालना में नामान्तकरण संख्या 48 मय नक्शा की प्रमाणित प्रति लेने पर ज्ञात हुआ कि समर्पण आदेश के साथ संलग्न नक्शा व पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 48 कि पुस्त पर जो नक्शा दर्शाया है उनमें व वर्तमान नक्शे में भिन्नता है। इस प्रकार रास्ते हेतु समर्पित खसरा संख्या 268/862/0.0405 है0 की भू नक्शे में तरमीम समर्पण आदेश के अनुसार दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना से मौके की वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक 59 दिनांक 08.01.2025 के द्वारा बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के मूल खसरा संख्या 170/862 से नवसृजित खसरा संख्या 268/862 की तरमीम आंवटन व प्रस्तावित अनुसार अंकित नहीं की गई है। नवसृजित खसरे की तरमीम गलत दिशा में अंकित की गई है। जो परिशिष्ट 'ब' अनुसार दर्शाई गई है। मूल खसरे 170/862 से नवसृजित खसरा संख्या 268/862 की तरमीम मौका एवं समर्पणनामा में दर्शाऐ अनुसार परिशिष्ट 'अ' अनुसार दुरस्त किये जाने का कथन किया गया। अतः खसरा संख्या 268/862 परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल से दर्शाते हुए इसी अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर रेकर्ड एवं मौका में समानता रहेगी इसलिए इसी अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है।

जिरह

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अंतिम बहस की गई।विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारानकी जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थी	अप्रार्थी
प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–131 136 पर बहस	
1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई गई वर्तमान मौका रिपोर्ट में पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार खसरा संख्या 170/862 व 268/862 की तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक कब्जे के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा विप्रार्थी के नाम शेष रही आराजी में अपना निर्माण कार्य करवाने में कोई त्रुटि नहीं रहे। तथा खसरों के क्षेत्रफल भी यथावत रहेंगे इसलिए	1. विप्रार्थी संख्या 2 से 4 मय वकुलाय ने तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई मौका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 के अनुसार दुरस्त करने में अनापती जाहिर करते हुए परिशिष्ट 'अ' के अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:11:10 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटीपूर्ण है तथा तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट में संलगन नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु दोनो पक्ष सहमत है तथा उसी अनुसार तरमीम पुनः दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** प्रार्थी_ के मूल खसरा संख्या 170/862 है0 से समपिर्त नवसृजित खसरा संख्या 268/862 की वर्तमान तरमीम आवंटन व प्रस्तावित समर्पणनुमा के अनुसार नहीं होने तथा भू-नक्शा में विपरीत अंकित होने से तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट-'अ' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती कर राजस्व रेकर्ड नक्शा दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'अ' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट अ' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

(SDO) धोरीमन्ना उपखण्ड कलक्टर

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 04.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

4/3/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:11:10 IST
Reason: SelfAttested